

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 18/2020

दायर दिनांक: 12.02.2020

उनवान

1. रामेश्वर आयु 58 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी कटावर तह० अटरू जिला बारां राज० ।

वादी

बनाम

1. घींसीबाई आयु 60 वर्ष पत्नी बिरधीलाल जाति धाकड़
2. शोहदरा बाई आयु 40 वर्ष पत्नी देवकिशन जाति धाकड़ निवासीगण कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
3. हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक शाखा कटावर तह० अटरू उर्फ बडोदा राज० क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर ।
4. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा ।

निर्णय

दिनांक 18/07/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 51 के ख०न० 354 रकबा 1.96 है० आराजी का निर्णय दिनांक 13.01.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/10 दिनांक 20.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2022 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल कटावर के ख0नं0 354 रकबा 1.96 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1	कटावर	घीसीबाई पत्नी बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. देह	354 मध्य	0.34 है0	नहरी-1	6.46
2	कटावर	रामेश्वर पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ सा. देह रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा कटावर	354 पूर्व	1.28 है0	नहरी-1	24.32
3	कटावर	शोदराबाई पत्नी देवकिशन जाति धाकड़ सा. देह	354	0.34 है0	नहरी-1	6.46

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 18/2020

उनवान

1. रामेश्वर आयु 58 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी कटावर तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. घीसीबाई आयु 60 वर्ष पत्नी बिरधीलाल जाति धाकड़
2. शोहदरा बाई आयु 40 वर्ष पत्नी देवकिशन जाति धाकड़ निवासीगण कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक शाखा कटावर तह0 अटरू उर्फ बडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर।
4. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कटावर के ख0नं0 354 रकबा 1.96 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य तहसीलदार अटरू द्वारा हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1	कटावर	घीसीबाई पत्नी बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. देह	354 मध्य	0.34 है0	नहरी-1	6.46
2	कटावर	रामेश्वर पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ सा. देह रहन बी.आर. के.जी.बी. शाखा कटावर	354 पूर्व	1.28 है0	नहरी-1	24.32
3	कटावर	शोदराबाई पत्नी देवकिशन जाति धाकड़ सा. देह	354	0.34 है0	नहरी-1	6.46

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)